न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत–2017 केम्प कोर्ट महुआखुर्द तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 2/2014 राजस्व अपील

उनवान

1. श्रीमति कलसुम बानु शेख पुत्री स्व0 श्री मोहम्मद हनीफ शेख पत्नि श्री ईस्लामुदीन शेख निवासी मालियों का बाडी, पंचमुखी शखो का मोहल्ला भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा

–– अपीलार्थीया

बनाम

1 श्रीमति शकूरन बानु शेख पत्नि स्व0 श्री मोहम्मद हनीफ शेख उम्र वयस्क निवासी झंवरो का मोहल्ला, छडीदार जी की हवेली, माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2 श्री मोहम्मद ईब्राहीम शेख पिता स्व0 हनीफ शेख उम्र वयस्क निवासी माण्डल हाल बायस्कोप के पीछे ब्रश फैक्ट्री के पास मलाण, सुभाषनगर भीलवाडा
3 श्री मोहम्मद सब्बीर शेख पिता स्व0 हनीफ शेख उम्र वयस्क निवासी काजी पाडा, जाटो का मोहल्ला माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4 श्री मोहम्मद युसूफ शेख पिता स्व0 मोहम्मद हनीफ शेख उम्र वयस्क निवासी झंवरो का मोहल्ला छडीदार जी की हवेली, माण्डल तहसील माण्उल जिला भीलवाडा
5 श्रीमति रूकैया बानु शेख पुत्री स्व0 मोहम्मद हनीफ शेख पत्नि श्री एजाज अहमद शेख उम्र वयस्क निवासी शेखों का मोहल्ला बस स्टेण्ड के पास आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
6 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

––रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 868 आदेश दिनांक 07–07–2001 ग्राम पंचायत महुआखुर्द

उपस्थित –

1. अरूण चन्द्र देराश्री.............. अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित
2. पैरोकार सरकार....................उपस्थित

निर्णय

दिनांक – 27.06.2017

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम महुआखुर्द, पटवार मण्डल महुआखुर्द स्थित आराजी संख्या 2570/1389 रकबा 09–10 बीघा स्थित है जिसमें खातेदार मोहम्मद हनीफ पिता वजीर मोहम्मद शेख निवासी माण्डल की मृत्युपरान्त खुले ईन्तकाल में रेस्पोडेण्ड्स संख्या 01 लगायत 04 के पक्ष में स्वीकृत किया गया जो कि विधि एंव तथ्यों के विपरित एंव विरूद्ध होने से काबिले संशोधित किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात में अपीलार्थीया एंव प्रत्यर्थी कम 05 मृतक मोहम्मद हनीफ की जाईन्दा पुत्रियां है व प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 04 की सगी बहने है, इन तथ्यों की जानकारी किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रूटीपूर्ण दर्ज कर नामान्तकरण फैसल करवा लिया, जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तकरण अपास्त योग्य है।

उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को 23.06.2014 को हुई तथा उनके द्वारा नकल लेकर विहीत समयावधि में अपील पेश की है। विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थीया/प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रकरण को दिनांक 18.07.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स की तल्बी की गई। दिनांक 18.11.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 05 सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 30.08.2016 से प्रत्यर्थी क्रम 02 लगायत 04 सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प शिविर मुकाम महुआखुर्द के लिए पंजीबद्ध किया कर पक्षकारान उभयपक्ष को वजह जाहिर करने के लिए सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी क्रम 06 राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा द्वारा वक्त शिविर में उपस्थित होकर अपनी और रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे रिकार्ड पर लिया गया। प्रकरण का मेरिट्स पर परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया तथा उपस्थित पक्षकरान को सुना गया। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जो सजरा प्रमाणित किया है उसमें अपीलार्थी को मृतक मोहम्मद हनीफ शेख के कोई जाईन्दा पुत्रीयां नही होने से वारिस नहीं होना बताया गया है। इसके विपरीत मृतक मोहम्मद हनीफ के जाईन्दा पुत्री अपीलार्थी कलसुम बानु शेख होने के प्रमाण में अपील मेमों में कोई ठोस खण्डन रेकार्ड में मौजूद नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया कलसुम बानु शेख, प्रत्यर्थी क्रम 05 रूकैया बानु शेख पुत्रीया स्व0 मोहम्मद हनीफ शेख के प्रथमश्रैणी वारिसान होकर अपीलाधीन नामान्तरण में अपना नाम बतौर वारिस जुड़वाने के अधिकारी है। हम अपीलार्थीपक्ष के इस तर्क से सहमत है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक मोहम्मद हनीफ शेख के वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी लिये बिना ही आदेश पारित कर महत्वपूर्ण विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत महुआखुर्द अपीलाधीन नामा. संख्या 388 आदेश दिनांक 07–07–2001 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बनेड़ा को रिमाण्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। तहसीलदार उक्त प्रकरण में अजसिरे उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर 6 माह की समयावधि में नवीन निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प महुआखुर्द में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / प्रकरण संख्या / अपील एलआर / 02 / 2014 दिनांकः 27.06.2017
प्रतिलिपिः–

तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो ।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा